भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 760
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनएबीएल-प्रत्यायित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं

†760. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल कितने पेयजल नमूनों का परीक्षण किया गया है और कितने मामलों में अंतरिम उपायों और सुरक्षित जल आपूर्ति की बहाली सहित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;
(ख) मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए एनएबीएल-प्रत्यायित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा प्रयोगशाला प्रत्यायन में आने वाली बाधाओं, जैसे मूल्यांकनकर्ताओं की कमी या प्रत्यायन के स्लॉट में देरी को दूर करने के लिए क्या सहायता और समन्वय तंत्र स्थापित किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र की है जिन्होंने संसद सदस्यों (लोक सभा) को शामिल करने के लिए अपने जिला जल और स्वच्छता मिशनों (डीडब्ल्यूएसएम) का पुनर्गठन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने हेतु, और पीने के पानी के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे

https://ejalshakti.gov.in/WOMIS/Main/report पर भी देखा जा सकता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वित्त वर्ष	**आंध्र प्रदेश में जांचे गए कुल नमूने**	**संदूषित पाए गए**	**उपचारात्मक कार्रवाई की गई**	**उपचारात्मक कार्रवाई की प्रतिशत**
2022-23	6,14,014	14,350	14,350	100.00%
2023-24	6,99,999	11,962	9,760	81.59%
2024-25	6,86,179	1,434	1,432	99.86%
2025-26	4,22,925	14	9	64.29%

(ख): दिनांक 01.12.2025 तक जेजेएमआईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): जेजेएम के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपने द्वारा उत्पादित डेटा की वास्तविकता, सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपनी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया है। मूल्यांकनकर्ताओं की कमी या मान्यता स्लॉट में देरी सहित मान्यता प्रक्रिया में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाली समस्याओं/मुद्दों को दूर करने के उद्देश्य से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और मान्यता निकायों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।

(घ) और (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई है कि जल आपूर्ति स्कीमों के लिए जिला कार्य योजना तैयार करते समय माननीय सांसदों से परामर्श किया जाए और उन्हें सभी डीडब्ल्यूएसएम बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी आमंत्रित किया जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठकों के कार्यवृत्त को संबंधित जिला/प्रभाग के संबंधित संसद सदस्यों के साथ उनके अवलोकन के लिए अनिवार्य रूप से साझा किया जाना चाहिए।

अनुबंध

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण

(01.12.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या					एनएबीएल मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की कुल संख्या				
		राज्य	जिला/क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल	राज्य	जिला/क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	3	7	-	11	1	-	-	-	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	26	85	6	118	1	23	57	-	81
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	20	17	-	38	-	-	-	-	-
4.	असम	1	34	48	3	86	1	34	46	-	81
5.	बिहार	1	38	84	-	123	1	37	-	-	38
6.	छत्तीसगढ़	1	29	47	-	77	1	28	18	-	47
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1
8.	गोवा	1	2	13	8	24	1	1	13	-	15
9.	गुजरात	1	33	46	329	409	1	33	42	-	76
10.	हरियाणा	1	21	22	-	44	1	21	21	-	43
11.	हिमाचल प्रदेश	1	14	62	8	85	-	12	54	-	66
12.	जम्मू एवं कश्मीर	2	20	76	-	98	2	20	20	-	42
13.	झारखंड	1	24	6	5	36	1	24	6	-	31
14.	कर्नाटक	5	32	48	22	107	4	29	46	-	79
15.	केरल	4	14	71	5	94	1	14	70	-	85
16.	लद्दाख	1	2	6	-	9	1	1	1	-	3

क्र. सं.	राज्य	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या					एनएबीएल मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की कुल संख्या				
		राज्य	जिला/क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल	राज्य	जिला/क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल
17.	लक्षद्वीप	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	1	51	103	32	187	1	51	103	-	155
19.	महाराष्ट्र	-	34	144	52	230	-	34	144	-	178
20.	मणिपुर	1	12	-	1	14	1	12	-	-	13
21.	मेघालय	1	11	18	35	65	1	7	-	-	8
22.	मिजोरम	1	11	15	1	28	1	2	-	-	3
23.	नागालैंड	1	11	-	-	12	1	11	-	-	12
24.	ओडिशा	1	30	46	83	160	1	26	21	-	48
25.	पुदुचेरी	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1
26.	पंजाब	1	23	9	-	33	1	23	7	-	31
27.	राजस्थान	2	32	20	26	80	1	32	-	-	33
28.	सिक्किम	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2
29.	तमिलनाडु	1	37	75	-	113	1	37	75	-	113
30.	तेलंगाना	1	35	40	40	116	1	31	-	-	32
31.	त्रिपुरा	1	8	12	-	21	1	8	12	-	21
32.	उत्तर प्रदेश	1	75	65	4	145	1	73	21	-	95
33.	उत्तराखंड	1	13	13	1	28	1	13	13	-	27
34.	पश्चिम बंगाल	2	23	214	2	241	2	23	192	-	217
कुल		**40**	**723**	**1,421**	**663**	**2,847**	**33**	**663**	**982**	**-**	**1,678**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस